BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 1170 of 2024

IN THE MATTER OF:

Anis Ahmad **......Applicant**

Versus

State of U.P. & Ors. **......Respondent(s)**

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Affidavit on behalf of U.P. Pollution Control Board	1-3
2.	**ANNEXURE 1:** Copy of Office order dated 22.11.2024	4-5
3.	**ANNEXURE 2:** Copy of closure order dated 25.11.2024	6-7
4.	**ANNEXURE 3:** Copy of Office order dated 06.12.2024	8
5.	**ANNEXURE 4:** Copy of letter dated 11.12.2024	9
6.	**ANNEXURE 5:** Copy of report dated 08.11.2024	10

THROUGH

DATE: 28.12.2024
PLACE: NEW DELHI

STHAVI ASTHANA
ADVOCATE FOR UPPCB
C1/131 MOTI BAGH, SHANTI PATH,

NEW DELHI-110021
(M): 9711116034
(E): STHAVIASTHANA@GMAIL.COM

NOTARIAL
FIVE RUPEES
NOTARY Gajendra Pal Singh Advocate Notary Bijnor (U.P.) R.No.-64(19) 2008 GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
NOTARIAL

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 1170 of 2024

IN THE MATTER OF:

Anis Ahmad **......Applicant**

Versus

State of U.P. & Ors. **......Respondent(s)**

AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

I, Vijay, aged about 47 years, posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB), Bijnore, Uttar Pradesh do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That the present response is being filed before this Hon'ble Tribunal in compliance with the directions passed by this Hon'ble Tribunal vide order dated 20.09.2024.
2. That in compliance to the above directions passed by Hon'ble Tribunal vide order dated 20.09.2024, District Magistrate Bijnore vide letter dated 22.11.2024 has constituted a Joint Committee comprising Sub Divisional Magistrate Chandpur, Regional Officer UPPCB Bijnore and Mining Officer District Bijnore for Inspection of the above defaulter Brick kiln. Copy of Office order dated 22.11.2024 is annexed here with as **Annexure no. 1.**
3. That UPPCB vide its letter dated 25.11.2024 has issued Closure order against M/s New Star Brick Works, Khasra No. 1165 mi,

ATTESTED
27/12/2024.
Gajendra Pal Singh
NOTARY
Bijnor - 246701 (U.P.)

Chandpur, Basta Road, Near Bakaina Miner towards miner of Near Rampur, Tehsil- Chandpur, District-Bijnore. Copy of closure order dated 25.11.2024 is annexed here with as **Annexure no.2.**

4. That the above joint committee has inspected the unit on dated 06.12.2024, during joint inspection the brick kiln was found closed in compliance of the closure order of UPPCB. That UPPCB has sent the above closure order dated 25.11.2024 to the defaulter brick kiln by the registered post and also pasted the closure order dated 25.11.2024 on the office wall of the brick kiln during joint inspection.

5. That in line with the closure order dated 25.11.2024 of UPPCB, the Mining Inspector Bijnore vide letter dated 06.12.2024 has issued directions to the defaulter brick kiln to remain closed until it obtains valid NOC from concerning departments. Copy of Office order dated 06.12.2024 is annexed here with as **Annexure no. 3.**

6. That Additional Chief Officer, Jila Panchayat Bijnore vide its letter dated 11.12.2024 has communicated to the Regional Office UPPCB Bijnore that no license has been issued to the questioned defaulter brick kiln from Jila Panchayat and M/s New Star Brick Works, Khasra No. 1165 mi, Chandpur, Basta Road, Near Bakaina Miner towards miner of Near Rampur, Tehsil- Chandpur, District-Bijnore is not registered in the record of Jila Panchayat Bijnore. Copy of letter dated 11.12.2024 is annexed here with as **Annexure no. 4.**

7. That a report dated 08.11.2024 of Sub Divisional Magistrate, Chandpur stating that in compliance to the directions passed by

NOTARY
GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
Gajendra Pal Singh
Advocate Notary
Bijnor (U.P.)
R.No.- 64(19) / 2008

ATTESTED
27/12/2024
Gajendra Pal Singh
NOTARY
Bijnor - 246701 (U.P)

Hon'ble Tribunal in O.A No. 1170/2024, inspection of the defaulter brick kiln in question was done on 24.10.2024 by Lekhpal Chandpur and it was found that the brick kiln was not in operation. During inspection the owner of the brick kiln Mohd. Asif has been directed to ensure the brick kiln stays closed. Copy of report dated 08.11.2024 is annexed here with as **Annexure no. 5.**

NOTARY * GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH * Gajendra Pal Singh Advocate Notary Bijnor (U.P.) R.No.-64(19)/2008

DEPONENT

VERIFICATION:-

Verified at ..Bijnor...... on this ..27.... day of .December, 2024 that the contents of the above Affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief based on official records. No part of it is false and nothing material has been concealed there from.

DEPONENT

Sworn before me on this ...27... day of the ...Dec. 2024.
by...... Vijay ......
who has been identified by...... Self ......
who is personally known to me..........
whose signature (S) is/are here it appended.

27/12/2024

Gajendra Pal Singh
NOTARY,
BIJNOR-246701 (U.P.)

Annexure-1

पत्रांक............ दिनांक 25-11-24 पत्रावली सं0 1/-63/(खनिज)

आदेश

उप सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय पत्र सं0 I/791104/2024 (1866336) दिनांक 08.11.2024, जिसके साथ मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 14.10.2024 की छायाप्रति संलग्न करते हुए ओ0ए0 संख्या 1170/2024 अनीस अहमद बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.03.2024 के अनुपालन में समयान्तर्गत शपथ पत्र दाखिल कराने की कार्यवाही एवं कृत कार्यवाही से शासन को एक सप्ताह में उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त पत्र दिनांक 08.11.2024 के साथ मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के ओ0ए0 संख्या 1170/2024 अनीस अहमद बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.09.2024 में मा0 न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया है कि इस मूल आवेदन में आवेदक का आरोप है कि प्रतिवादी सं0 04 से 06 ने गाटा सं0 1185 ग्राम व परगना व तहसील चांदपुर जिला बिजनौर में अवैध रूप से ईट भटटा स्थापित किया है, इसके अलावा आवेदक का आरोप है कि उक्त ईट भटटा उत्तर दिशा में कृषि क्षेत्र से सटा हुआ है और अधिसूचना दिनांक 22.02.2022 के तहत प्रदान किये गये साइटिंग मानदण्डो का उल्लघंन करते हुए उत्तर-पूर्व, उत्तर-पश्चिम दिशाओ में स्थित कई आम के बागो से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। आवेदक की आगे की दलील यह है कि इससे पहले शिकायत पर अधिकारियो द्वारा कार्यवाही शुरू की गयी थी और कार्य रोक दिया गया था। इसके बाद कार्य फिर शुरू किया गया और शिकायत की गयी और अधिकारियो ने फिर से कार्य रोक दिया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि ईट भटटा अवैध रूप से स्थापित किया जा रहा है। आदेश के अन्त में प्रतिवादी सं0 03 अधोहस्ताक्षरी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि सम्बन्धित ईट भटटा सभी अपेक्षित मापदण्डो का अनुपालन करने और आवश्यक अनुमति प्राप्त के बाद ही संचालित हो। प्रकरण में उप सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा अपने उपरोक्त पत्र में मा0 अधिकरण में समयान्तर्गत शपथ पत्र दाखिल करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त वाद में उल्लिखित ईट भटटे की जॉच किये जाने हेतु निम्नलिखित टीम का गठन किया जाता है :-

1. उपजिलाधिकारी, चान्दपुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर।
3. खान अधिकारी/निरीक्षक जनपद बिजनौर।

अतः उपरोक्त जॉच टीम को निर्देशित किया जाता है कि वह संयुक्त रूप से उक्त प्रकरण की एक सप्ताह के भीतर स्थलीय जॉच कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे तथा कृत कार्यवाही से कार्यालय को अवगत कराए।

22/11/24

(अंकित कुमार अग्रवाल)
जिलाधिकारी, बिजनौर।

कार्यालय जिलाधिकारी, बिजनौर।

पत्रांकः 534 /खनिज अनुभाग-2024 दिनांकः 22 नवम्बर, 2024

प्रतिलिपि :-

1. उप सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ0प्र0 लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. उपजिलाधिकारी, चान्दपुर को अनुपालनार्थ प्रेषित।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप उक्त जॉच टीम से समन्वय स्थापित कर प्रकरण में नियमानुसार जॉच निर्धारित समयावधि में कराकर समयान्तर्गत मा0 हरित अधिकरण में शपथ पत्र दाखिल करते हुए कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराए।
5. खान अधिकारी/निरीक्षक जनपद बिजनौर को अनुपालनार्थ प्रेषित।

(अंकित कुमार अग्रवाल)
जिलाधिकारी, बिजनौर।

AEE/SA 25/11/24

SA

Annexure-1

कार्यालय जिलाधिकारी बिजनौर के पत्र सं0–534/खनिज अनुभाग–2024 दिनांक–22 नवम्बर 2024 द्वारा दिये गये आदेश/निर्देश के क्रम में अनुपालन आख्या।

उप सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ0 प्र0 लखनऊ के कार्यालय पत्र सं0–आई/791104/2024 (1866336) दिनांक–08.11.2024, जिसके साथ मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के पत्र दिनांक–14.10.2024 की ओ0ए0 संख्या–1170/2024 अनीस अहमद बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक–20.09.2024 के अनुपालन में समयान्तर्गत शपथ पत्र दाखिल कराने की कार्यवाही एवं कृत कार्यवाही से शासन को एक सप्ताह में उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

गठित समिति के सदस्यों द्वारा प्रश्नगत ईट भट्ठा मैसर्स न्यू स्टार ब्रिक वर्क्स, खसरा सं0–1185मि0, चान्दपुर बास्टा रोड, बकैना माईनर के पास रूपपुर जाने वाले माईनर, तहसील–चान्दपुर, जनपद–बिजनौर का संयुक्त निरीक्षण दिनांक–06.12.2024 को किया गया। प्रश्नगत ईट भट्ठे को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ के पत्रांक–एच/20114/सी–7/वायु–2077/2024 दिनांक–25.11.2024 के द्वारा बन्दी आदेश जारी किया गया है तथा खान निरीक्षक के पत्र संख्या–617/खनिज अनुभाग–2024 दिनांक–06 दिसम्बर 2024 के द्वारा ईट भटठे पर ईट पथाई/फूकाई/संचालन का कार्य बन्द रखे जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है।

ईट भट्ठा का संचालन पूर्णतया बन्द पाया गया, ईट भट्ठे के चिमनी से कोई इमीशन/उत्सर्जन नही किया जा रहा था तथा ईट भट्ठा स्थल पर ईट पथाई इत्यादि का कार्य नही किया जा रहा था। उक्त ईट भट्ठे को बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी बन्दी आदेश दिनांक–25.11.2024 की प्रति मौके पर ईट भट्ठे के कार्यालय की दीवार पर चस्पा करा दिया गया तथा मौके पर उपस्थित प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि ईट भट्ठे को जारी बन्दी का अनुपालन यथावत सुनिश्चित रखा जाये।

उपरोक्त आख्या आपकी सेवा में सादर प्रेषित है।

06/12/24 (JRF)   06/12/2024 (J.E.)   06/12/24   ना०त० 6/12/24

उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिजनौर।	(शिवम कुमार) खान इंस्पेक्टर खनन विभाग, बिजनौर।	(सार्थक चावला) नायब तहसीलदार चान्दपुर, बिजनौर।

Annexure-2

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE Lifestyle for Environment

संदर्भ सं0 H20114 /सी–7/वायु–2077/2024 दिनांक: 25/11/24

सेवा में,

मैसर्स न्यू स्टार ब्रिक वर्क्स,
खसरा सं0–1185 मि0, चान्दपुर, वास्टा रोड, बकैना माईनर के पास रूपपुर के तरफ जाने वाले माईनर, तहसील–चान्दपुर, जनपद–बिजनौर।

यह कि मैसर्स न्यू स्टार ब्रिक वर्क्स, खसरा सं0–1185 मि0, चान्दपुर, वास्टा रोड, बकैना माईनर के पास रूपपुर के तरफ जाने वाले माईनर, तहसील–चान्दपुर, जनपद–बिजनौर द्वारा ईट के उत्पादन का कार्य करते हुए उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 2 (K) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि ईट भट्ठा मैसर्स न्यू स्टार ब्रिक वर्क्स, खसरा सं0–1185 मि0, चान्दपुर, बास्टा रोड, बकैना माईनर के पास रूपपुर के तरफ जाने वाले माईनर, तहसील–चान्दपुर, जनपद–बिजनौर द्वारा स्थापनार्थ राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाणपत्र एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अन्तर्गत संचालन हेतु सहमति वायु प्राप्त न किये जाने एवं ईट भट्ठा उत्तर प्रदेश ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 22.02.2022 के मापदण्डों के अनुरूप न होने के दृष्टिगत बोर्ड के पत्र सं0–एच19158/सी–7/वायु–2077/2024 दिनांक 25.10.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

यह कि ईट भट्ठा मैसर्स न्यू स्टार ब्रिक वर्क्स, खसरा सं0–1185 मि0, चान्दपुर, बास्टा रोड, बकैना माईनर के पास रूपपुर के तरफ जाने वाले माईनर, तहसील–चान्दपुर, जनपद–बिजनौर के विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 25.10.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय बिजनौर द्वारा दिनांक 26.10.2024 को ईट भट्ठे को चौकीदार श्री अरमान. (मो0 9927511388) को प्राप्त करा दिया गया है तथा बोर्ड मुख्यालय द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस को पंजीकृत डाक से प्रेषित किया गया है परन्तु इकाई द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस के क्रम में अपना प्रत्यावेदन बोर्ड में प्रस्तुत नही किया गया।

उक्त कारण बताओ नोटिस के क्रम मे ईट भट्ठे का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा दिनांक 16.11.2024 को किया गया। उक्त निरीक्षण के समय ईट भट्ठे द्वारा बोर्ड से पूर्व में जारी कारण बताओ नोटिस का अनुपालन किया जाता नही पाया गया। उक्त ईट भट्ठे के स्थल से उत्तर दिशा में लगभग 770 मीटर की दूरी पर कस्बा चान्दपुर, पश्चिम दिशा में लगभग 500 मीटर की दूरी पर विद्यालय, दक्षिण दिशा में लगभग 500 मीटर की दूरी पर अन्य ईट भट्ठा तत्पश्चात इसी दिशा में लगभग 530 मीटर की दूरी पर अन्य ईट भट्ठा स्थित है। पूरब–पश्चिम दिशा में लगभग 600 मीटर की दूरी पर आम का बाग स्थित है। उत्तर–पश्चिम दिशा में लगभग 430 मीटर की दूरी पर आम का बाग है। उक्त ईट भट्ठा का स्थल उ0प्र0 ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली–2012 तथा ईट भटठों हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 22.02.2022 के अनुरूप स्थापित नही है। उक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 25.10.2024 की पुष्टि की गयी है।

यह कि बोर्ड के पत्र सं0–एच19158/सी–7/वायु–2077/2024 दिनांक 25.10.2024 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का प्रतिउत्तर ईट भट्ठा मैसर्स न्यू स्टार ब्रिक वर्क्स, खसरा सं0–1185 मि0, चान्दपुर, बास्टा रोड, बकैना माईनर के पास रूपपुर के तरफ ज़ाने वाले माईनर, तहसील–चान्दपुर, जनपद–बिजनौर द्वारा बोर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है। ईट भट्ठा का स्थल उ0 प्र0 ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 तथा ईट भट्ठे हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 22.02.2022 के अनुरूप नहीं है। ईट भट्ठे द्वारा स्थापनार्थ राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया है और न ही संचालन हेतु सहमति (जल/वायु) प्राप्त की गयी है।

..........कृ0पृ0उ0

India Post
Counter No:2,26/11/2024,13:30
PIN:246725, Chandpur SO
Wt:20gms
Amt:75.96,Tax:3.96,Amt.Paid:76.00(Cash)
(Track on www.indiapost.gov.in)

Sent to M/S New Star Brick Works
Chantpur, Bijnor
₹-26/-

...C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
...2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

Annexure-2

(2)

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में वायु प्रदूषण की रोकथाम व पर्यावरण हित में जन स्वास्थ्य एवं जन साधारण को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से ईंट भट्ठे के विरूद्ध बोर्ड के पत्र दिनांक 25.10.2024 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए वायु प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्राप्त प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ईंट भट्ठा मैसर्स न्यू स्टार ब्रिक वर्क्स, खसरा सं0–1185 मि0, चान्दपुर, बास्टा रोड, बकैना माईनर के पास रूपपुर के तरफ जाने वाले माईनर, तहसील–चान्दपुर, जनपद–बिजनौर के विरूद्ध वायु अधिनियम 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्नानुसार बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते है:–

1. यह कि ईट भट्ठा मैसर्स न्यू स्टार ब्रिक वर्क्स, खसरा सं0–1185 मि0, चान्दपुर, बास्टा रोड, बकैना माईनर के पास रूपपुर के तरफ जाने वाले माईनर, तहसील–चान्दपुर, जनपद–बिजनौर के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि ईट भट्ठा मैसर्स न्यू स्टार ब्रिक वर्क्स, खसरा सं0–1185 मि0, चान्दपुर, बास्टा रोड, बकैना माईनर के पास रूपपुर के तरफ जाने वाले माईनर, तहसील–चान्दपुर, जनपद–बिजनौर के संचालन से सम्बद्ध विद्युत कनेक्शनों एवं जल आपूर्ति कनेक्श्न को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–7

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, बिजनौर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया मैसर्स न्यू स्टार ब्रिक वर्क्स, खसरा सं0–1185 मि0, चान्दपुर, बास्टा रोड, बकैना माईनर के पास रूपपुर के तरफ जाने वाले माईनर, तहसील–चान्दपुर, जनपद–बिजनौर के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद–बिजनौर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया मैसर्स न्यू स्टार ब्रिक वर्क्स, खसरा सं0–1185 मि0, चान्दपुर, बास्टा रोड, बकैना माईनर के पास रूपपुर के तरफ जाने वाले माईनर, तहसील–चान्दपुर, जनपद–बिजनौर के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।
3. संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक,), राज्य कर बिजनौर को इस आशय से कि बोर्ड द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश के क्रम में ईट भट्ठे मैसर्स न्यू स्टार ब्रिक वर्क्स, खसरा सं0–1185 मि0, चान्दपुर, बास्टा रोड, बकैना माईनर के पास रूपपुर के तरफ जाने वाले माईनर, तहसील–चान्दपुर, जनपद–बिजनौर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करने का कष्ट करें।
4. जिला खनन अधिकारी बिजनौर को इस आशय से कि बोर्ड द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश के क्रम में ईट भट्ठे मैसर्स न्यू स्टार ब्रिक वर्क्स, खसरा सं0–1185 मि0, चान्दपुर, बास्टा रोड, बकैना माईनर के पास रूपपुर के तरफ जाने वाले माईनर, तहसील–चान्दपुर, जनपद–बिजनौर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करने एवं ईट भट्ठे का पंजीयन/खनन अनुज्ञा/लाइसेंस को रद्द करने का कष्ट करें।
5. अपर मुख्य जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला पंचायत बिजनौर को इस आशय से कि बोर्ड द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश के क्रम में ईट भट्ठे मैसर्स न्यू स्टार ब्रिक वर्क्स, खसरा सं0–1185 मि0, चान्दपुर, बास्टा रोड, बकैना माईनर के पास रूपपुर के तरफ जाने वाले माईनर, तहसील–चान्दपुर, जनपद–बिजनौर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करने एवं ईट भट्ठे का पंजीयन/खनन अनुज्ञा/लाइसेंस को रद्द करने का कष्ट करें।
6. अधिशासी अधिकारी, विद्युत वितरण खण्ड, तहसील–शाहबाद, जनपद–बिजनौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक
7. कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर को इस निर्देश के साथ कि जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए ईंट भट्ठे को जारी बन्दी आदेश का अनुपालन कराते हुए अनुपालन आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–7

Annexure-3

कार्यालय जिलाधिकारी, बिजनौर।

पत्रांकः 617 /खनिज अनुभाग–2024 दिनांकः 06 दिसम्बर, 2024

विषयः मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–7 उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड लखनऊ के पत्र दिनांक 25.11.2024 के क्रम में ईट भटठे पर पथाई/फुंकाई/संचालन का कार्य बन्द रखे जाने विषयक।

मै0 न्यू स्टार ब्रिक वर्क्स
खसरा नं0 1185मि, चान्दपुर बास्टा रोड, बकैना माईनर के पास
रूपपुर की तरफ जाने वाले माईनर तहसील चान्दपुर जिला बिजनौर।

कृपया उपरोक्त विषयक मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–7 उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड लखनऊ के पत्र सं0 H 20/11/सी–7/वायु–2077/2024 दिनांक 25.11.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करे, जो आपको सम्बोधित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित किया गया है। उक्त पत्र में आपके ईट भटटे के विरूद्ध बन्दी आदेश निर्गत करते हुए उल्लिखित किया गया है कि वायु प्रदूषण की रोकथाम व पर्यावरण हित में जन स्वास्थ्य एवं जन साधारण को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देशय से ईट भटठे के विरूद्ध बोर्ड के पत्र दिनांक 25.10.2024 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए वायु प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्राप्त प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ईट भटठा मैसर्स न्यु स्टार ब्रिक वर्क्स खसरा सं0 1185मि चान्दपुर, बास्टा रोड, बकैना माईनर के पास रूपपुर के तरफ जाने वाले माईनर, तहसील चान्दपुर जनपद बिजनौर के विरूद्ध वायु अधिनियम 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्नानुसार बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है। प्रकरण में उक्त पत्र के माध्यम से मुख्य पर्यावरण अधिकारी द्वारा अधोहस्ताक्षरी को उक्त बन्दी आदेश के क्रम में आपके ईट भटटे के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करने एवं ईट भटटे का पंजीयन/खनन अनुज्ञा/लाईसेंस रद्द किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अतः मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–7 उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड लखनऊ द्वारा प्रेषित उक्त बन्दी आदेश पत्र के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप सम्बन्धित विभागो से अनापत्ति प्राप्त किये जाने तक ईट भटटे पर ईट पथाई/फुंकाई/संचालन का कार्य बन्द रखे जाना सुनिश्चित करे।

खान निरीक्षक,
बिजनौर।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. उपजिलाधिकारी, चान्दपुर/क्षेत्राधिकारी (पुलिस) चान्दपुर महोदय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप उक्त ईट भटटे पर सतर्क दृष्टि रखे जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करे कि उक्त ईट भटटे पर ईट पथाई/फुंकाई/संचालन का कार्य न होने पाए।
3. संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, बिजनौर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मुख्य पर्यावरण अधिकारी प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के उक्त पत्र के क्रम में ईट भटठे के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करे।
4. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत बिजनौर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रकरण में अपने विभाग के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का कष्ट करे।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड बिजनौर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड बिजनौर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

खान निरीक्षक,
बिजनौर।

शैलेन्द्र कुमार
11-12-24

Annexure-4

कार्यालय जिला पंचायत, बिजनौर।

पत्रांक– 818 / जि0पं0 / 2024–25 दिनांक– 11 दिसम्बर, 2024

पत्रांक............
दिनांक 11-12-24
पत्रावली सं0 N-37 / बिजनौर

सेवा में,
क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
बिजनौर।

विषय– चांदपुर बास्टा रोड बकैना माईनर के पास रूपपुर की तरफ जाने वाले माईनर, तहसील चांदपुर, जनपद बिजनौर में खसरा नं0–1185 मि0 में स्थित मै0 न्यू स्टार ब्रिक वर्क्स द्वारा बिना अनुमति प्राप्त किये अवैध रूप से संचालित ईंट भट्ठे को बन्द कराने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य पर्यारण अधिकारी, वृत्त–7 के कार्यालय पत्रांक–एच0 20 / सी–7 / वायु–2077 / 2024 दिनांक 25.11.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा चांदपुर बास्टा रोड बकैना माईनर के पास रूपपुर की तरफ जाने वाले माईनर, तहसील चांदपुर, जनपद बिजनौर में खसरा नं0–1185 मि0 में स्थित मै0 न्यू स्टार ब्रिक वर्क्स द्वारा बिना अनुमति प्राप्त किये अवैध रूप से संचालित ईंट भट्ठे को बन्द कराने के सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया है।

उक्त क्रम में मै0 न्यू स्टार ब्रिक वर्क्स खसरा नं0–1185 मि0 चांदपुर बास्टा रोड, रूपपुर का स्थलीय निरीक्षण कराया गया, जिसमें प्रश्नगत ईंट भट्ठा स्थल से उत्तर दिशा में लगभग 770 मी0 की दूरी पर कस्बा चांदपुर, पश्चिम दिशा में लगभग 500 मी0 की दूरी पर विद्यालय, दक्षिण दिशा में लगभग 500 मी0 की दूरी पर अन्य ईंट भट्ठा स्थित है। पूरब पश्चिम दिशा में लगभग 600 मी0 की दूरी पर एवं उत्तर पश्चिम दिशा में लगभग 430 मी0 की दूरी पर आम का बाग है। चूंकि ईंट भट्ठा फर्म मालिक द्वारा नियमानुसार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 22.02.2022 के क्रम में ईंट भट्ठा स्थापनार्थ राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं जिला खनन अधिकारी, बिजनौर कार्यालय में रॉयल्टी जमा कराकर चालान तथा जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रपत्र / कागजात सहित लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत ना करने के कारण उक्त ईंट भट्ठा फर्म मै0 न्यू स्टार ब्रिक वर्क्स, खसरा नं0–1185 मि0 चांदपुर बास्टा रोड, रूपपुर के नाम लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क जमा नहीं कराया गया है, और ना ही इस कार्यालय द्वारा उक्त ईंट भट्ठा फर्म संचालन हेतु लाइसेंस / प्रपत्र–25 जारी किया गया है।

अतः उक्तानुसार कार्यालय अभिलेखों में मै0 न्यू स्टार ब्रिक वर्क्स, खसरा नं0–1185 मि0 चांदपुर बास्टा रोड, रूपपुर पंजीकृत नहीं किया गया है।

Vikas 11/12/2024

(विकास मिश्र)
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, बिजनौर।

पृष्ठांकन सं0– / 2024–25 तद्दिनांक

प्रतिलिपि–
1–मुख्य पर्यारण अधिकारी, वृत्त–7 T.C/12V, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2–उपजिलाधिकारी चांदपुर को इस आशय से कि उक्त अवैध रूप से संचालित फर्म को बन्द कराये जाने विषयक कार्यवाही किये जाने का कष्ट करें।
3–खनन निरीक्षक, बिजनौर के कार्यालय पत्रांक–617 / खनिज अनुभाग–2024 दिनांक 06 दिसम्बर, 2024 के संदर्भ में प्रेषित।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, बिजनौर।

Letter v 2023-24

Annexure-5

पत्रांक.........
दिनांक....11-11-24
पत्रावली सं0 N-63/जनरल

महोदय

संलग्न पत्र कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड जिला बिजनौर सन्दर्भ सं0 735/एन–63/जनरल/2024 दिनांक 16.10.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–1170/2024 अनीस अहमद बनाम राज्य सरकार के सन्दर्भ में कस्बा चान्दपुर की बास्टा रोड बकैना माईनर से लगा खेत सं0 1185 मे ईट भटटे का निर्माण/संचालन को निषिद्व कराने के संबंध में प्रस्तुत किया है उक्त संबंध में आख्या निम्नवत है।

मौ0 आसिफ पुत्र वाजिद हुसैन निवासी मौ0 चिम्मन कस्बा चान्दपुर के द्वारा मौजा चान्दपुर परगना व तहसील चान्दपुर जिला बिजनौर के गाटा सं0 1185 में ईंट भटटे की चिमली का निर्माण कार्य किया गया था। जिस संबंध में मौके पर उपस्थित हुआ निर्माणकर्ता मौ0 आसिफ पुत्र वाजिद हुसैन निवासी मौ0 चिम्मन कस्बा चान्दपुर को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–1170/2024 अनीस अहमद बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश व उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड जिला बिजनौर सन्दर्भ सं0 735/एन–63/जनरल/2024 दिनांक 16.10.2024 के संबंध में ईंट भटटे का निर्माण/संचालन को निषिद्व कराने के आदेश से अवगत कराया। जिस क्रम में आज दिनांक 24.10.2024 को मौके पर उपरितथ हुआ मौके पर ईट भटटे पर निर्माण कार्य/संचालन होना नही पाया गया। एवं निर्माणकर्ता मौ0 आसिफ पुत्र वाजिद हुसैन निवासी मौ0 चिम्मन कस्बा चान्दपुर को अवगत करा दिया गया है कि जबतक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–1170/2024 अनीस अहमद बनाम राज्य सरकार में अग्रिम आदेश अनुसार ही कार्य करें जबतक प्रश्नगत ईट भटटे पर निर्माण कार्य/संचालन कार्य ना करे।

आख्या सेवा में सादर प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 26/10/24

संलग्नक–मौके की फोटो

मोहित कुमार
लेखपाल

महोदय: लेखपाल की आख्या रिपोर्ट सेवा में सादर प्रेषित है।
(हस्ताक्षर) 15/10/2024
महिपाल सिंह
राजस्व निरीक्षक
तहसील चान्दपुर

742
122(1)
GT

महोदय
प्रश्नगत ईंट भट्टे का स्थलीय निरीक्षण में बंद पाया गया। किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं होना पाया गया। आख्या सादर प्रेषित।
(हस्ताक्षर)
तहसीलदार
चान्दपुर

सम्प्रेषित।
SDM(J)
08/11/2024
उपजिलाधिकारी
चान्दपुर (बिजनौर)

प्रेषित 11.11.24